न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 90/17

1 नरेशचन्द मीना पुत्र श्री भगवान लाल मीना निवासी गैस गोदाम के सामने, करौली तहसील व जिला करौली।

अपीलांटान

बनाम

1. हुकम मीना
2. शिवकेश मीना

पिसरान श्रीलाल जाति मीना निवासी मोहनपुर तहसील व जिला करौली

रेस्पोडेन्ट वादीगण

3. श्रीलाल पुत्र शिवनारायण जाति मीना निवासी मोहनपुर तह0 व जिला करौली।

रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी नं.1

4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली

रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी नं.2

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक जिला कलेक्टर करौली मु0न0 166/2016 निर्णय व डिग्री दिनांक 16.05.2017)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री लियाकत अली एड.
2. रेस्पोडेटान सं. 3 की ओर से श्री विष्णुचन्द बंसल एड.

निर्णय

दिनांक 17.10.1019

प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 166/2016 निर्णय/डिग्री दिनांक 16.05.2017 उनवानी हुकम बनाम श्रीलाल के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 386 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा स्थके ग्राम खौहरी तहसील करौली को दिनांक 23.06.2016 को प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के राशि 2,00,000/– रूपये में विक्रय कर सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अपीलांट से गहावान के समक्ष प्राप्त कर के आराजी पर कब्जा अपीलांट को संभलवा दिया था तभी से अपीलांट उक्त आराजी खसरा नम्बर 386 सम्पूर्ण पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है तथा इस तथ्य को दावा में छुपाकर एवं अदालत को धौखा देकर व गुमराह कर गलत व अवैध राजीनामा वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रस्तुत कर छल व कपट पूर्वक तरीके से अपीलांट की खरीद शुदा भूमि को हडपने की बदनियती से पारित अधिनस्थ न्यायालय से कराया है जो विधि विरूद्ध है। विधि संभत नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट/प्रार्थी रजिस्टर्ड कैता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नहीं बनाने से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी/अपील पेश की है।

Scanned by CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टान की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की अपील/प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक का बहस तर्कों में यह कथन रहा है कि अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 166/2016 निर्णय/डिग्री दिनांक 16.05.2017 उनवानी हुकम बनाम श्रीलाल में अपीलांट का हितबद्ध है। अपीलांट ने उक्त भूमि के खातेदार प्रतिवादीगण श्रीलाल मीना पुत्र श्री शिवलाल मीना से उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 386 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा ग्राम खौहरी तहसील करौली को दिनांक 23.06.2016 को पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है। प्रतिफल राशि 200000/– रूपये गवाहा के समक्ष प्राप्त कर आराजी पर कब्जा अपीलांट को संभला दिया था तभी से अपीलांट उक्त आराजी खसरा नम्बर 386 सम्पूर्ण पर बतौर खातेदार आजदिनांक तक काबिज काश्त है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त भूमि में हितबद्ध है तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलांट पर असर प्रभाव डाल रहा है। अधिनस्थ न्यायालय में न्याय आपके द्वार कैम्प खौहरी जिला करौली में पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रतिवादीगण नं0 1 को सम्पूर्ण जानकारी होते हुए भी अदालत को धौखा देकर व गुमराह कर गलत व अवैध राजीनामा पेश किया। छल व कपट पूर्वक तरीके से अपीलांट की खरीद शुदा भूमि को हडपने की बदनियती से अधिनस्थ न्यायालय से निर्णय/डिक्री पारित करवाया है जो विधि विरूद्ध है। विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट द्वारा भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 से दायरी दावा दिनांक 06.07.2016 से पूर्व खरीद कर लेने से अपीलांट प्रकरण दावा बटवारा व घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा में आवश्यक पक्षकार थे फिर भी वादीगण रेस्पो0 नम्बर 1 व 2 ने अपीलांट को विक्रय व बयनामा दिनांक 23.06.2016 की जानकारी होते हुए भी अपीलांट को भूमि से वंचित करने की बदनियती से पक्षकार नहीं बनाया गया है। एवं प्रतिवादी नं0 1 रेस्पो0 श्रीलाल ने अपने जवाब दावा में भूमि अपीलांट को विक्रय कर वयनामा करा देने के तथ्य को जानबूझकर छिपाकर साजिशी जवाब दावा वादीगण से मिल कर व साज कर कूट रचनाकर प्रस्तुत कर एवं राजीनामा प्रस्तुत कर जैर अपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांट से छुपाते हुए पारित कराया है जो विधि प्रावधानो के विपरीत होने से व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण चलने के बारे में कोई जानकारी नहीं रही है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष भी नहीं रख सका है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलांट के हितोंपर काफी विपरीत प्रभाव पड रहा है। अतः प्रार्थी / अपीलांट हितबद्ध होने के कारण ही न्यायालय हाजा में अपील पेश की है। अतः अपीलांट की अपील व प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार फरमावे जावे।

17-10-19
अपील प्राधिकारी
करौली

रेस्पो0 के विद्धान अधिवक्ता ने अपील/प्रार्थना पत्र 96 (2) सीपीसी के बहस में बताया कि अपीलांट/प्रार्थी का निर्णय/डिक्री में वर्णित विवादित भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा ग्राम खौहरी तहसील करौली पैत्रिक भूमि है जिससे अपीलांट का कोई किसी प्रकार का वास्ता या ताल्लुक नही है, ना ही उक्त भूमि से किसी प्रकार के हित जुडे हुए है । ऐसी स्थिती में धारा 96 (2) सीपीसी के तहत एग्रीव्ड परसन के बतौर पक्षकारान बनाये जाने योग्य नही है। अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार नही है। सबूत

Scanned by CamScanner

के तौर पर अपीलांट ने नामान्तरकरण/जमाबंदी की प्रति भी पेश नहीं की है। दावा जो पेश किया गया था। वह विभाजन का दावा है जिसमें केवल सहखातेदार ही पक्षकार बनाये जा सकते है। अपीलार्थी बिना सहखातेदार बने धारा 96 सीपीसी के तहत पक्षकारान बनाये जाने योग्य नही है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि को दिनांक 23.06.2016 को क्रय करना बताया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय में दावा पूर्व से ही चला आ रहा है। वह पूर्णतः गलत व निराधार है । इस प्रकार विवादित भूमि से अपीलार्थी का कोई ताल्लुक या वास्ता नही है । अपीलार्थी किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नही है। आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील/प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी खारिज फरमाया जावे ।

अभिभाषक उभय पक्ष की बहस व तर्को पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा बटवारा, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है इसमें वादी व प्रतिवादी रिस्ते में पुत्र–पिता है। प्रतिवादी सं0 1 श्रीलाल के द्वारा आराजी ख0 नम्बर 386 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम खोहरी का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र पंजियन दिनांक 23.06.2016 को नरेश चन्द मीना को किया गया है। दिनांक 06.07.2016 को वाद संख्या 166/2016 हुकम बनाम श्रीलाल विवादित आराजी बाबत दायर किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 1 को सारी जानकारी होते हुए भी स्वयं प्रतिवादी नं. 1 ने रजिस्टर्ड विक्रय करने पर भी आराजी खसरा नम्बर 386 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा भूमि ग्राम खौहरी करौली की जानकारी होने के बावजूद भी वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ने न्याय आपके द्वारा कैम्प में समझौता पेश किया। इस तथ्य को दावे में छुपाकर वाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय को अदालत मातहत के यहॉ प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी का हित निहित होने के कारण प्रार्थना पत्र 96 जा0 दी0 स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है व अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। विद्वान पीठासीन अधिकारी/सहायक जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित निणर्य/डिक्री मु0नं0 166/2016 दिनांक 16.05.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है। कि मु0नं0 166/2016 निर्णय दिनांक 16.05.2017 शीर्षक हुकम बनाम श्रीलाल आदि में अपीलार्थी को पक्षकार बनाते हुए उभय पक्ष को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का विधिवत अवसर देकर दावे का विधिक निस्तारण किया जावे। पक्षकारन को पाबन्द किया जाता है कि दिनांक 27.11.2019 को सुनवाई हेतु न्यायालय सहायक जिला कलक्टर, करौली के समक्ष उपस्थित हो। पत्रावली में आवश्यक कार्यवाही कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.10.19.

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.11 17:37:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: